न्यायालय, अंचल अधिकारी, कुन्दा (चतरा)।

विविध वाद सं0—22/2022—23

राजदेव गंझु बनाम शंभु यादव वगैरह यादव

—आदेश—

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1		3
	भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,चतरा के पत्रांक—35 दिनांक—12.01.2023 से विविध अपील वाद सं0—137/2020—21 कैलाश गंझु वगैरह बनाम रामजन्म यादव एवं अन्य में दिनांक—10.03.2023 को विद्वान भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता, चतरा द्वारा पैरवी का अलग—अलग अभिलेख संधारण कर सुनवाई करने के आदेश के आलोक में ग्राम— कुटुम्बा के खाता सं0—01 प्लॉट सं0—88, रकबा 4.00 ए0 भूमि से संबंधित अभिलेख संधारण किया गया एवं उभय पक्षों को अपना—अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक से राजस्व प्रतिवेदन हेतु निदेश दिया गया । उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं अपना—अपना पक्ष रखा गया । संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि खाता सं0—01 प्लॉट सं0— 88 रकबा 4.00 ए0 भूमि उनके पिता एवं पूर्वजों गुड़न गंझु के नाम से भू—दान यज्ञ कमिटि एक्ट 1954 के प्रावधानों के अनुसार भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को भू—दान पर्चा सं0—137231 दिनांक—26.11.1957 के द्वारा बंदोबस्त किया गया है । गुरशा गंझु उर्फ गुड़न गंझु के नाम से जमाबंदी खुलकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते चला आ रहा है । गुरशा गंझु उर्फ गुड़न गंझु के मृत्यु के बाद इनका पुत्र किशोरी गंझु के मरने के बाद इनके पुत्र प्रथम पक्ष राजदेव गंझु के पूर्वज बंदोबस्त की तिथि से शांतिपूर्वक काबिज—दखलकार चले आ रहे हैं तथा इनके द्वारा गुरशा गंझु उर्फ गुड़न	

गंझु के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते चला आ रहा है । अंचल कार्यालय द्वारा अंचल अमीन के माध्यम से मापी किया गया । विपक्षी जाली एवं बनावटी हुकुमनामा के आधार पर अपना-अपना दावा करने लगे जबकि द्वितीय पक्ष के लोगों का किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी एवं सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया गया है । तत्कालीन अंचल अधिकारी, खुंटा द्वारा प्रथम पक्ष के जमाबंदी को संदेहात्मक बताना उचित प्रतीत नहीं होता है । विपक्षीगण का दखल-कब्जा नहीं है । छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 (1) के तहत् भू-माफिया या विपक्षीगण के द्वारा जमीन को अतिक्रमित भी कर दिया जाता है तो वैसे सुरत में भूमिहीन व्यक्तियों को पुनः दखल-कब्जा दिलाने का प्रावधान वर्णित है । प्रथम पक्ष की ओर से तत्कालीन अंचल अधिकारी, खुंटा द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए प्रथम पक्ष का जमाबंदी यथावत रखने एवं विपक्षीगण के जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

प्रथम पक्ष की ओर से भू-दान यज्ञ कमेटि द्वारा निर्गत सत्यापित भू-दान प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, वंशावली की छायाप्रति, गुरुन गंझु पिता सोमर गंझु के नाम से कायम जमाबंदी पंजी-I की छाया प्रति, आफलाईन एवं ऑनलाइन लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है ।

विपक्षी द्वारा लिखित रूप से बताया गया कि विपक्षी के पूर्वज दुर्गा महतो को विवादित भूमि खुंटा स्टेट के भूतपूर्व जमींदार से खाता सं0-01 प्लॉट सं0-88 रकबा 1.50 एकड़ हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्त किया गया था तथा बंदोबस्ती तिथि से लगातार दखल-काबिज है । जमींदार को लगान देकर जमींदारी रसीद एवं जमाबंदी खतम होने के बाद सरकार के सिरिस्ता में डिमाण्ड खुलकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ । विपक्षीगण के पूर्वज दुर्गा महतो पिता स्व0- गंधु महतो द्वारा दिनांक- 21.01.1985 को अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया जिसके आधार पर वाद सं0-06/1984-85 खोलकर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई करते हुए डिमाण्ड खोलने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार

उप-समाहर्ता,चतरा को भेजा गया गया । भूमि सुधार उप-समाहर्ता,चतरा द्वारा दिनांक-03.04.1985 को अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदन करके अभिलेख वापस अंचल कार्यालय में भेजा गया एवं इसके आधार पर दुर्गा महतो के द्वारा लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किये । लेटली दुर्गा महतो तथा उनके पिता के मृत्यु के बाद दिपक्षो संयुक्त रूप से दखलकार हुए । दुर्गा महतो अपने जीवन काल में प्रश्नगत भूमि पर घर-मकान बनाकर अपने परिवार सहित रह रहे थे । इनके मरने के बाद इनके वारिसानों का दखल-कब्जा है इसके अतिरिक्त कुंआ,चापाकल का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से फसलों का सिंचाई किया जाता है ।

खाता सं0-01 प्लॉट सं0-84 रकवा 0.50 ए0 भूमि का शिवचन्द महतो पिता मधु महतो के नाम से कुंदा स्टेट से हुक्मनामा के आधार पर जमीन बंदोबस्त किया गया तथा जमींदार द्वारा उचित सलामी लेकर दखल-कब्जा दे दिया । जमींदार को लगान देकर जमींदारी रसीद प्राप्त किये । जमींदारी खत्म होने के बाद सरकार के सिरिस्ता में डिमाण्ड खुला । शिवचन्द महतो द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया जिसके आधार पर वाद सं0-12/1984-85 खोलकर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई करते हुए डिमाण्ड खोलने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता,चतरा को भेजा गया गया । भूमि सुधार उप-समाहर्ता,चतरा द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदन करके अभिलेख वापस अंचल कार्यालय में भेजा गया एवं इसके आधार पर दिनांक-04.10.1985 को शिवचन्द महतो के नाम से जमींदारी उन्मूलन की तिथि से लगान वसूल करके सरकारी रसीद निर्गत किया गया तथा डिमाण्ड पंजी-II में शिवचन्द महतो के नाम से जमाबंदीदार रैयत के रूप में नाम दर्ज हुआ । शिवचन्द महतो के पाँच पुत्र हैं जिनके द्वारा उक्त भूमि मध्ये रकवा 0.07 ए0 जमीन पर कच्चा मकान एवं 02 पक्का कमरे का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त कुंआ, चापाकल का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से फसलों का सिंचाई किया जाता है ।

Scanned with OKEN Scanner

आगे कहा गया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा द्वारा वाद सं0–90/2022 राजेन्द्र यादव बनाम सुरेश गंझु वगैरह में आदेश पारित करते हुए यह कथन किया गया है कि पर्चा गुरूवा गंझु के नाम से निर्गत है जबकि ऑनलाईन एवं आफलाईन सरकारी रसीद गुहन गंझु के नाम से दिखा गया है जो अपने आप में विरोधाभाष एवं संदेहात्मक प्रतीत होता है । प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम नहीं किया गया है । राजदेव गंझु मूल भू–दान पर्चाधारी का वंशज नहीं है तथा गलत वंशावली के आधार पर दावा किया जा रहा है । प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल पर्चा सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं है । प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का लम्बे अरसे से दखल–कब्जा, स्वामित्व अधिकार चला आ रहा है तथा लम्बे अरसे से जमाबंदी कायम है । विपक्षी द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

विपक्षी की ओर से वाद सं0–06/1984–85, वाद सं0–12/1984–85, दुर्गा महतो, शिवनन्द महतो के नाम से जमाबंदी का पुराना पंजी–II, सरकारी लगान रसीद एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है ।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच कराई गई । प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे खतियान के अनुसार मौजा– कुशुम्भा थाना सं0–143 के अंतर्गत खाता सं0–01 ऑनलाईन सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है,जिसका प्लॉट सं0–88 रकबा 35.70 ए0 किस्म जंगल दर्ज है।

प्रथम पक्ष राजदेव गंझु द्वारा राजस्व रसीद जो गुहन गंझु पिता सोमर गंझु के नाम से निर्गत है, भू–दान पर्चा जिसका प्रमाण–पत्र सं0–137231 दिनांक–26.11.1957 तथा आफलाइन पंजी–II का छाया प्रति समर्पित किया गया है । आफलाईन पंजी–II के अनुसार गुहन गंझु के नाम से खाता सं0–1 मधे प्लॉट सं0–88 रकबा 4.00 ए0 भू–दान केस नं0–17/70–71 दिनांक–12.08.1970 दर्ज है एवं अंचलाधिकारी कुंदा के ज्ञापांक–24 दिनांक–22.05.2005 के आदेशानुसार रसीद निर्गत किया गया

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज है, जिसमें प्रथम रसीद 08.07.2005 को रसीद सं0–321636 वर्ष– 70–71 से 2005–06 तक का निर्गत है ।

द्वितीय पक्ष– A. शंभु यादव वगैरह द्वारा दुर्गा महतो के नाम से बंदोबस्ती वाद सं0–6/84–85 के नकल की छाया प्रति संलग्न है,जिसमें दुर्गा महतो पिता मधु महतो के नाम से खाता सं0–1 प्लॉट सं0–88 रकबा 1.06 ए0 दर्ज है जो वर्तमान में ऑनलाईन पंजी–।। के पृष्ठ सं0–1/3 पर दर्ज है ।

B. द्वितीय पक्ष में ही रतन यादव वगैरह पिता शिवनन्द यादव द्वारा ऑफलाईन पंजी–।। की छाया प्रति जिसमें खाता सं0– 1 प्लॉट सं0- 88 रकबा 0.50 ए0 की जमाबंदी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, चतरा के अभिलेख सं0– 12/84–85 द्वारा खोला गया दर्ज है जिसका प्रथम रसीद 19.07.1986 को रसीद सं0–282569 है । वर्तमान में यह जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–।। के पृष्ठ सं0–4/3 पर दर्ज है परन्तु ऑनलाईन पंजी- ।। देखने पर पाया गया कि यह जमाबंदी 10/3 पर चली गई है, जो शिवनन्द महतो पिता मधु महतो के नाम से दर्ज है ।

पूर्व में हुई नापी एवं वर्तमान में स्थानीय जाँच के आधार पर पता चला कि उक्त वर्णित विवादित भूमि द्वितीय पक्ष दखलकार है । उक्त भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जंगल है, जो प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत आता है ।

तत्कालीन विद्वान अंचल अधिकारी,प्रतापपुर द्वारा दिनांक–24.07.2020 को पारित आदेश में वर्णित है कि श्री शंभु यादव , हिरेन्द्र यादव वगैरह ने कार्यालय अंचल अधिकारी, प्रतापपुर में निष्पादित बंदोबस्ती केस सं0–06/1984–85 में श्री दुर्गा महतो पिता स्व0 मधु महतो के नाम मौजा कुशम्भा अंतर्गत खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 88 रकबा– 1.06 ए0 भूमि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के स्वीकृति उपरांत जमाबंदी कायम की गई है जिसपर शांतिपूर्ण दखल है ।

कमलेश यादव वगैरह ने मौजा कुशम्भा अंतर्गत खाता सं0–01 प्लॉट सं0–88 रकबा 0.50 ए0 भूमि जो भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के वाद

सं0–12/1984–85 से शिवचन्द महतो के नाम से हासिल होने का कागजात दिखाये हैं जिसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है । वर्तमान में इनका शांतिपूर्ण जोत–कोड़ है।

अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलें, दाखिल कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा तत्कालीन विद्वान अंचल अधिकारी,कुंदा द्वारा दिनांक–24.07.2020 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया । अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि मौजा कुशुम्भा के खाता सं0–01 प्लॉट सं0–88 रकबा 1.05 ए0 भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–6/84–85 से भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के आदेश से दुर्गा महतो के नाम से एवं खाता सं0–01 प्लॉट सं0–88 रकबा 0.50 ए0 भूमि को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के वाद सं0 12/1984–85 से शिवचन्द महतो के नाम से हासिल है। ध्यातव्य है कि राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जंगल है, जो प्रतिबंधित सूची में है।

उक्त विवादित भूमि मध्ये रकबा 2.45 ए0 भूमि प्रथम पक्ष द्वारा भू–दान पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है । भू–दान पर्चा के साथ बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा–14 एवं 15 के तहत् सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा सम्पुष्टि (फार्म एम) दाखिल नहीं किया गया है, जो दावा की पुष्टि नहीं करता है ।

विपक्षी द्वारा विवादित भूमि को हुकुमनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है । हुकुमनामा के आधार पर दावा के संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा द्वारा निम्नांकित निदेश निर्गत किया गया है जो विपक्षी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है ।

01. विपक्षी को सादा हुकुमनामा से हासिल है । भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा–17 के तहत् 100/– रू0 की अधिक सम्पत्ति का अनिबंधित हस्तांतरण विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है ।

02. हुकुमनामा निर्गत करने वाले जमींदार की बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1951 की धारा– 7D के तहत् जमींदारी विवरणी Return –

Form-K भरना है परन्तु यह दाखिल नहीं किया गया ।

03. बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा– 5,6 एवं 7 के तहत् लगान निर्धारण का दोस या साक्ष्य प्रमाण दाखिल किया गया है। हुकुमनामा में चौहद्दी भी वर्णित नहीं है ।

भूमि गैरमजरुआ खास किस्म जंगल है जो प्रतिबंधित सूची में शामिल है ।

अतः उपरोक्त आलोक में इस वाद में अर्तनिहित भूमि रकवा–2.45 ए0 का उभय पक्षों के नाम कायम दोहरी जमाबंदी को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम– 1950 की धारा– 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, चतरा को भेजी जाए ।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
कुन्दा ।

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2024.12.30 17:14:40 +05:30
Location: 192.168.138.47

Scanned with OKEN Scanner